

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 10/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ।

—बनाम—

परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतड़ीनगर,
जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 03.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने दिनांक 01.01.2021 को गैर सायल परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतड़ीनगर जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतड़ीनगर, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। तथा जुआ व शराब का धन्धा करता है। इसने कस्बा खेतड़ीनगर व आस-पास के इलाके में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सट्टा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके कारण युवा पीढ़ी के लोग घरों से पैसे, गहने और अन्य कीमती सामान आदि लाकर दाव पर लगा देते हैं। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की



अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 179/13 दिनांक 19.08.19 धारा 19/54 आबकारी अधि० थाना खेतड़ीनगर, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 118 दिनांक 29.08.19 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 1100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियोग संख्या 219/19 दिनांक 07.10.19 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना खेतड़ीनगर, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 149 दिनांक 29.10.19 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 76/20 दिनांक 04.05.20 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना खेतड़ीनगर, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 57 दिनांक 30.05.20 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 14.09.2021 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना खेतड़ीनगर, झुंझुनू में 3 अभियोग दर्ज होकर

12/1
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा तीनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुञ्जुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुञ्जुनू के खिलाफ पुलिस थाना खेतडीनगर, झुञ्जुनू में कुल तीन अभियोग दर्ज हुए तथा गैर सायल तीनों ही अभियोगों में न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित हुआ है। अतः गैर सायल परसराम राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतडीनगर, को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुञ्जुनू को राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (11) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुञ्जुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर

11/11/1
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुञ्जुनू

पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल परसराम पुत्र भंवरलाल गुर्जर, निवासी बंसत विहार तन खरकड़ा, पुलिस थाना खेतड़ीनगर, उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना खेतड़ीनगर को देंगे तथा थानाधिकारी थाना खेतड़ीनगर झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 03.12.2021 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



जान 3-12-2021
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जान 3-12-2021
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू